श्री उपसभापतिः श्री नीरज डांगी जी। **...(व्यवधान)...**मंत्री जी। **...(व्यवधान)...**प्रश्न संख्या 102. श्री संजय राउत जी।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *102

TO BE ANSWERED ON THE 28TH JULY, 2021/ SRAVANA 6, 1943 (SAKA)

SAFETY AND ECONOMIC WELL BEING OF KASHMIRI PANDITS AND OTHER MINORITIES

***102. SHRI SANJAY RAUT:**

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is aware that many Kashmiri Pandits have become insecure in the last few years and they fear they could be target of a false flag operation;

(b) if so, the details thereof and Government's response thereto;

(c) the number of Kashmiri Pandits and Dogra Hindu families currently staying in the Valley and their demands to Government; and

(d) the details of steps taken or proposed to be taken by Government for the safety and economic well-being of the minorities in Kashmir, especially the non-migrant Kashmiri Pandits, Sikhs and Shias?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NUMBER *102 FOR 28.07.2021

(a) & (b): As per the report of Relief Office setup in 1990 by the Government of Jammu and Kashmir, 44,167 kashmiri Migrant Families are registered who had to move from the valley since 1990 due to security concerns. Out of these, the count of registered Hindu Migrant families is 39,782.

Kashmiri Pandits have felt more secure in the recent past as evident from the fact that 3841 Kashmiri Migrants youth have moved back to kashmir and have taken up jobs in various districts of Kashmir under the Prime Minister's rehabilitation package. Another 1997 candidates have been selected for jobs under the same package in April, 2021, and they will be moving to Kashmir soon. It is also pertinent to mention that as many as 26684 kashmiri Migrant youth showed interest for going back to valley by applying for the above referred 1997 posts, which were advertised by the Jammu and Kashmir's recruitment Board in December, 2020. The Government has also prepared a comprehensive policy to provide residential accommodation to these Kashmiri migrants who have moved back to Kashmir. 6000 residential units are being constructed for them at an accelerated pace. Already, 1000 residential units are being used by these employees.

(c) & (d): Approximately 900 such families, including Kashmiri Pandits and Dogra Hindu families, are residing in Kashmir.

As regard, those who never migrated from Kashmir, the government allowed their inclusion in the Jobs package for Kashmiri Migrants. Besides, they are getting all benefits of Government schemes along with others in Kashmir.

The Government has taken necessary steps to protect the life and property of the people. These include proactive operations against terrorists, identification and arrest of over ground workers/ supporters of terrorism, action against members of banned organizations, intensified night patrolling checking at Nakas, security arrangements through appropriate deployment, coordination meetings amongst intelligence agencies, maintaining high level of alertness etc.

****

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 102

दिनांक 28.07.2021/ 06 श्रावण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

कश्मीरी पंडितों और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आर्थिक कल्याण

***102 श्री संजय राउत:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विगत कुछ वर्षों में अनेक कश्मीरी पंडित असुरक्षित हो गए हैं और उनको डर है कि वे झूठे फ्लैग ऑपरेशन का शिकार हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) वर्तमान में घाटी में कश्मीरी पंडित और डोगरा हिन्दू परिवारों की संख्या कितनी-कितनी है और सरकार से उनकी मांगें क्या हैं; और

(घ) कश्मीर में अल्पसंख्यकों विशेषत: अप्रवासी कश्मीरी पंडितों, सिक्खों और शियाओं की सुरक्षा और आर्थिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

रा.स.ता.प्र.सं. *102

"कश्मीरी पंडितों और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आर्थिक कल्याण" के संबंध में दिनांक 28 जुलाई, 2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *102 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा वर्ष 1990 में स्थापित राहत कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 44,167 कश्मीरी प्रवासी परिवार पंजीकृत हैं, जिनको सुरक्षा कारणों की वजह से वर्ष 1990 से घाटी छोड़ना पड़ा था। इनमें से, पंजीकृत प्रवासी हिंदू परिवारों की संख्या 39,782 है।

हाल में, कुछ समय से कश्मीरी पंडितों ने स्वयं को ज्यादा सुरक्षित महसूस किया है, जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि प्रधानमंत्री के पुनर्वास पैकेज के तहत 3841 कश्मीरी प्रवासी युवा कश्मीर वापस लौटे हैं तथा उन्होंने कश्मीर के विभिन्न जिलों में नौकरी पाई है। अप्रैल, 2021 में इसी पैकेज के अंतर्गत, 1997 और अभ्यर्थियों को नौकरियों के लिए चुना गया है और वे शीघ्र ही कश्मीर चले जाएंगे। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि 26684 कश्मीरी प्रवासी युवाओं ने जम्मू और कश्मीर चयन बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 2020 में विज्ञापित उक्त 1997 पदों के लिए आवेदन करके घाटी में वापस जाने की रूचि दिखाई है। सरकार ने कश्मीर वापस लौटे इन कश्मीरी प्रवासियों को रिहायशी आवास उपलब्ध कराने के लिए भी एक विस्तृत नीति तैयार की है। उनके लिए 6000 आवासीय इकाइयों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। इन कर्मचारियों द्वारा 1000 आवासीय इकाइयों का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है।

(ग) और (घ):कश्मीरी पंडितों और डोगरा हिंदू परिवारों सहित ऐसे लगभग 900 परिवार कश्मीर में रह रहे हैं।

जहां तक ऐसे व्यक्तियों का संबंध है, जिन्होंने कभी भी कश्मीर से प्रवास नहीं किया, सरकार ने उन्हें "कश्मीरी प्रवासियों हेतु नौकरी पैकेज" में शामिल करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, उन्हें कश्मीर में दूसरों के साथ सरकारी स्कीमों के सभी लाभ मिल रहे हैं।

सरकार ने व्यक्तियों की जान और संपत्ति की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इन कदमों में आतंकवादियों के विरूद्ध एहतियात के तौर पर ऑपरेशन, ओवर ग्राउंड वर्करों/आतंकवाद के समर्थकों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी, प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई, नाकों पर रात में पेट्रोलिंग-चैकिंग बढ़ाना, उपयुक्त तैनाती के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाएं, आसूचना एजेंसियों के बीच समन्वय बैठकें, उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखना आदि शामिल है।

******